पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश,

सी–13, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

प0सं0 ——/15–1–1576/ट्रै0ट्रे0/2018 लखनऊ : दि0 :: 26 सितम्बर, 2018

–: कार्यालय आदेश :–

मे0 किम बर्ले क्लब प्रा0लि0, लखनऊ द्वारा सूरजकुण्ड मेले में वाराणसी घाट की प्रतिकृति के निर्माण हेतु निविदा सं0–11/टी0टी0/2017 के क्रम में प्रस्तुत निविदा पर नियमानुसार निर्णय लेते हुए न्यूनतम दरदाता के रूप में कार्यालय प0सं0 6449, दि0 08–01–2018 द्वारा कार्य आवंटित किया गया था।

फर्म ने स्वयं द्वारा प्रस्तुत दरों पर कार्य करने में असमर्थता अपने ई–मेल पत्र दिनांक 08–01–2018 द्वारा प्रस्तुत की तथा असमर्थता का कारण तकनीकी दर्शाया।

उपरोक्त के दृष्टिगत विभाग द्वारा दि0 11–01–2018 को निर्णय लेते हुए मे0 किम बर्ले क्लब प्रा0लि0, लखनऊ की अर्नेस्ट मनी रु0 1,25,000/– जब्त करते हुए फर्म को ब्लैक लिस्ट किया गया। विभाग के उपरोक्त निर्णय के संदर्भ में मे0 किम बर्ले क्लब प्रा0लि0 ने अपना प्रत्यावेदन दि0 04–07–2018 एवं दि0 05–09–2018 प्रस्तुत किया, जिसमें विभाग को हुई असुविधा के लिए खेद प्रकट करते हुए क्षमा याचना की गई है तथा पूर्व में विभाग में सम्पादित किए गए कार्यों के दृष्टिगत ब्लैक लिस्ट न करने का अनुरोध किया गया।

सूरजकुण्ड मेले में उत्तर प्रदेश द्वारा प्रथम बार थीम स्टेट के रूप में प्रतिभाग किया जा रहा था तथा यह आयोजन उत्तर प्रदेश के पर्यटन विकास हेतु एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम था। कार्यक्रम का आयोजन दि0 02 फरवरी, 2018 से प्रारम्भ होना था। अतः समस्त कार्यवाही आयोजन से पूर्व पूर्ण कर ली जानी थी।

मे0 किम बर्ले क्लब प्रा0लि0 द्वारा स्वयं के प्रस्तुत दरों पर कार्य करने से मना कर देने पर विभाग के पास कार्यक्रम की महत्ता एवं समय की कमी को देखते हुए दूसरी उच्च दर दाता फर्म जेड एक्सिस एक्जीबिशन प्रा0लि0, नोएडा से कार्य कराना पड़ा। दरें उच्च होने के पश्चात भी विभाग को उपलब्ध एक मात्र विकल्प के आधार पर विशेष परिस्थितियों में कार्य कराना पड़ा। मे0 किम बर्ले क्लब प्रा0लि0 द्वारा की गई लापरवाही एवं अनुत्तरदायित्वपूर्ण कार्य व व्यवहार के कारण विभाग को कठिनाईयों का सामना करते हुए आपात व्यवस्था के आधार पर कार्य कराना पड़ा। मे0 किम बर्ले क्लब प्रा0लि0 द्वारा बरती गई लापरवाही मानवीय भूल की श्रेणी में नहीं आती, क्योंकि निविदा जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में अशुद्ध आंकड़ों की प्रस्तुति की कल्पना नहीं की जाती है। मे0 किम बर्ले क्लब प्रा0लि0 द्वारा अपने प्रत्यावेदन में निविदा में की गई त्रुटि एवं विभाग को हुई क्षति/असुविधा को स्वयं स्वीकार किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत प्रत्यावेदन बलहीन होने के कारण अस्वीकार करते हुए विभाग द्वारा दि0 11–01–2018 को मे0 किम बर्ले क्लब प्रा0लि0 की ई0एम0डी0 जब्त करने एवं ब्लैक लिस्ट करने के निर्णय को यथावत् जारी रखा जाता है।

(अवनीश कुमार अवस्थी)
महानिदेशक पर्यटन, उ0प्र0।

पृ0सं0 3990/2018, समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मे0 किम बर्ले क्लब प्रा0लि0, के–1, आशियाना, लखनऊ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार।
3. उपसचिव पर्यटन, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

(अवनीश कुमार अवस्थी)
महानिदेशक पर्यटन, उ0प्र0।